भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 **2387**
दिनांक 0**8** जुलाई**,** 2019

हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं

2387. श्री एम॰ सेल्वराजः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में कदलूर से रामेश्वरम के बीच हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के लिए 274 कुएं खोदने हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरण-स्वीकृति इत्यादि प्रक्रियाओं हेतु उक्त क्षेत्रों के किसानों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि सभी हितधारकों से परामर्श कर लिया है तथा उनकी राय ले ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त परियोजनाओं के लिए 274 कुएं खोदने हेतु किसानों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अभ्यावेदन के ऊपर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (च) : उत्पादन हिस्सेदारी संविदा व्यवस्था के तहत नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के विभिन्न दौरों मेंतमिलनाडु राज्य में 7 ब्लॉक प्रदान किए गए थे जिनमें से केवल दो ब्लॉकों का प्रचालन किया जा रहा है और शेष ब्लॉकों का परित्याग कर दिया गया है/परित्याग किए जाने का प्रस्ताव है। खोजे गए लघु क्षेत्र बोली दौरों के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए दो संविदाएं प्रदान की गई थी। इसके अलावा, खुला रकबा लाईसेंसिंग नीति के तहत 3 ब्लॉक प्रदान किए गए थे। प्रचालकों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार प्रतिबद्धतायुक्त कार्य कार्यक्रम के अनुसार इन 3 ब्लॉकों में 3 अन्वेषण कूपों का वेधन किया जाना है। तथापि, प्रचालक खोज किए जाने पर कुछ और मूल्यांकन और विकास कूपों का वेधन कर सकते हैं। प्रचालकों ने कूपों के वेधन और जांच के लिए पर्यावरण के

प्रभाव संबंधी आकलन (ईआईए) हेतु वचारार्थ वषय (टीओआर) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कए हैं।

कोई वेधन संबंधी कार्यकलाप करने से पहले पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईसी) अनिवार्य है। पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लए पर्यावरण के प्रभाव संबंधी आकलन (ईआईए) पहली शर्त है। ईआईए रिपोर्ट में प्रस्ता वत वेधन परियोजना के पर्यावरण संबंधी पहलुओं और उनके पड़ने वाले प्रभाव की पहचान की जाती है। इसके अलावा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रचालन करने की मंजूरी प्राप्त की जाती है। पर्यावरण संबंधी मंजूरी हेतु जन सुनवाई के दौरान स्थानीय जनता सहित पणधारकों के साथ परामर्श कया जाता है। राष्ट्रीय हरित अ धकरण (एनजीटी) के निर्देशों, यदि कोई हों, का अनुपालन कया जाता है। तथा प, एनजीटी के साथ कोई परामर्श नहीं कया जाता है। सं वदाकारों द्वारा कोई अन्वेषण/वेधन अथवा उत्पादन कार्यकलाप शुरू कए जाने से पहले उपयुक्त सरकार से पेट्रो लयम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल)/पेट्रो लयम खनन प ा (पीएमएल) प्राप्त करना अपे क्षत है। इसके अलावा, सं वदाकारों के लए पर्यावरण संबंधी कानूनों, वन संबंधी मंजूरी, वन्य जीव संबंधी मंजूरी, भू म अ धग्रहण सहित संबं धत केंद्रीय और स्थानीय कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना करना और साथ ही अन्वेषण/वेधन कार्यकलापों से संबं धत नियमों/वनियमनों का पालन करने की सां व धक बाध्यता है।

त मलनाडु में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन सं वदाओं को प्रदान करने की कार्रवाई को निरस्त करने के लए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदनों के संबंध में संबं धत प्रा धकारियों के साथ परामर्श करके तथा सं वदाओं के प्रावधानों के अनुसार, साथ ही लागू कानूनों, नियमों, वनियमनों और दिशा-निर्देशों आदि के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

****